वित्त निर्देश 04/2007

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 47 /50/वित्त/नियम/चार/2007, रायपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता का राज्य शासन के शासकीय सेवकों के वेतन में दिनांक 1.4.2007 से विलय ।

संदर्भ:- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 20/सी-903/वित्त/नि./चार/2005, 19 जनवरी, 2007

संदर्भित ज्ञापन द्वारा दिनांक 1.4.2007 से राज्य के शासकीय सेवकों के मौजूदा मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर महंगाई भत्ते का विलय मूल वेतन में करने तथा इसे महंगाई वेतन के रूप में अलग से दर्शाने के निर्देश जारी किये गये है । कतिपय विभागों द्वारा यह स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया है कि उक्त आदेश राज्य शासन के किन श्रेणी के कर्मचारियों को लागू होगा ?

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सभी शासकीय सेवकों को जिन्हें ''पुनरीक्षण वेतन नियम, 1998'' के अंतर्गत वेतन प्राप्त हो रहा है एवं ''छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998'' में नियमित वेतनमान आहरित करने वाले कार्यभारित तथा आकस्मिकता के सेवा के सदस्यों तथा यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले शासकीय सेवकों को लागू होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के.चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

क्रमांक 48/50/वित्त/नियम/चार/2007,   रायपुर, दिनांक 12 फरवरी, 2007

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. सचिव वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, मंत्रालय, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर एवं जगदलपुर, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. राज्य सूचना अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र को वित्त विभाग की बेबसाइट (www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(अमिताभ शर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग